स्वागतम

Live in Harmony with Nature

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं मध्यप्रदेश वन विभाग की नई पहल जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन

By
R. Sreenivasa Murthy, IFS
Member Secretary

वैधानिक संस्थाएं– त्रिस्तरीय

राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
राज्य स्तर	राज्य जैवविविधता बोर्ड
स्थानीय निकाय स्तर	जैवविविधता प्रबंधन समिति

Legal Instruments

अंतर्राष्ट्रीय स्तर	अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता सम्मेलन
राष्ट्रीय स्तर	जैवविविधता अधिनियम, 2002
राज्य स्तर	मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004
विनियम	जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

Legal Instruments

State Laws

भारतीय वन अधिनियम

State Laws

मध्यप्रदेश वन उपज जैवविविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई, नियम, 2005

General Laws

दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 2: परिभाषा

ग) **"जैव संसाधनों"** से पौधे, जीव जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं हैं;

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 2: परिभाषा

त) मूल्यवर्धित उत्पादः से ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनमें पौधों या पशुओं के अमान्यकरणीय और वस्तुतः अपृथक्करणीय रूप में भाग या उनके तत्व अंतर्विष्ट हो सकते हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 2: परिभाषा

च) वाणिज्यिक उपयोग: से वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैसे आनुवांशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिये प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत पद्धतियॉ नहीं है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा -7

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, वाणिज्यिक उपयोग के लिये कोई जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिये या जैव संरक्षण और जैव उपयोग के लिये संबद्ध राज्य विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला देने के पश्चात् ही अभिप्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं:

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा–7

परंतु इस धारा के उपबंध स्थानीय व्यक्ति और उस क्षेत्र के समुदायों को लागू नहीं होंगे जिनके अंतर्गत जैव विविधता के उगाने वाले और कृषक, और ऐसा वैद्य और हकीम है जो देशी औषधियों का इलाज में उपयोग कर रहे हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा–23 (ख)

राज्य जैवविविधता बोर्ड के कृत्य

वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और भारतीयों द्वारा किसी जैव विविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिये अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध को मंजूर करके, विनियमित करना;

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 24 (1)

भारत का कोई नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या भारत में रजिस्ट्रीकृत संगम, जो धारा 7 में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना ऐसे प्रारूप में देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।

धारा 24 (2)

उपधारा (1) के अधीन किसी संसूचना की प्राप्ति पर राज्य जैव विविधता बोर्ड संबंधित निगमित निकाय से परामर्श करके और ऐसे जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा ऐसे किसी क्रियाकलाप को प्रतिषेध या निबंधित कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा क्रियाकलाप, संरक्षण और जैव विविधता के पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के प्रतिकूल या विरुद्ध हो :

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियामक प्रावधान

नियम 17(3)

आवेदन के गुणागुण से समाधान हो जाने पर बोर्ड, आवेदन को अनुज्ञात कर सकेगा या ऐसे क्रियाकलाप को निर्बन्धित कर सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसे क्रियाकलाप जैव विविधता के संरक्षण या ऐसे क्रियाकलाप से उद्भूत लाभ के साम्यपूर्ण प्रभाजन के पोषणीय उपयोग के उद्देश्यों के लिये हानिकारण या उनके प्रतिकूल है।

नियम 17(4)

पहुंच / संग्रहण, बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी तथा आवेदक द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षरित लिखित करार द्वारा शासित होगा। करार का प्रारूप बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियामक प्रावधान

नियम 14 (सत्रह)

अधिनियम के कार्यान्वयन के सबंध में किसी क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण का जिम्मा लेना;

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 52 (क)

कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या राज्य जैवविविधता बोर्ड के किसी लाभ में हिस्सा बंटाने के अवधारण या आदेश से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपील फाईल कर सकेगा।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 55

(1) जो कोई धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा और जहां कारित नुकसान दस लाख रुपये से अधिक हो वहां जुर्माना कारित नुकसान के अनुरूप होगा अथवा दोनों से दंडनीय किया जायेगा।''

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 55

(2) जो कोई धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 56

यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिये गये किसी निर्देश या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा तथा निरंतर उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माने से जो व्यतिक्रम जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिये दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 58

इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 59

इस अधिनियम के उपबंध वन और वन्यजीव से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 61

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान –

(क) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा; या

(ख) ऐसे किसी फायदे के दावेदार द्वारा जिसने ऐसे अपराध की और कोई परिवाद किये जाने के अपने आशय की केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को विहित रीति में तीस दिन से अन्यून की सूचना दे दी है,

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

Sec 61 के अंतर्गत प्राधिकरण

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930

No. 68] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

का.आ. 120(अ).—जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: :—

उपर्युक्त अधिसूचना में :—

सारिणी में क्रम सं. 3, क्रम सं. 4 और उनके कॉलम सं. 2 और 3 में की गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: :—

क्रम सं.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
4.	वन अधिकारी जो रेंज अधिकारी के रैंक से कम न हों	उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में

[फा. सं. 28-14/2008-सीएस-III (एन बी ए)]

ए. के गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2708(अ) के तहत भाग II के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2009

S.O. 120(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby make the following further amendments in the Notification No.S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008 namely :—

In the said Notification :—

In the TABLE, after Sl.No. 3, Sl.No. 4 and the corresponding entries in column No. 2 & 3 thereof, shall be inserted, namely :—

Sl.No.	Officer authorised to file complaints under Section 61 (a) of the Biological Diversity Act, 2002	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
4.	Forest Officers not below the rank of Range Officers	In their respective jurisdictions

[F. No. 28-14/2008-CS-III (NBA)]

A. K. GOYAL, Jt. Secy

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* Notification No. S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008.

155 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 61 प्राधिकरण

भारत का राजपत्र – असधारण – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना – 07 जनवरी 2009 का.आ. 120 (अ)

जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 खण्ड अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार एतद् द्वारा दिनांक 17.11.2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है–

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी – वन अधिकारी जो रेंज ऑफिसर के रैंक से कम न हों– उनके अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21 नवंबर 2014

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21 नवंबर 2014

विनियम 2(1)

कोई व्यक्ति जो जैविक संसाधनों तक पहुंच का आशय रखता है, जिसके अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी)/वनवासी/जनजाति कृषक/ग्राम सभा द्वारा की जा रही फसल भी है, इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप 'क' के साथ यथास्थिति जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप 1 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) को या राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) को ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा जो एसबीबी द्वारा विहित किया जाए।

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21 नवंबर 2014

विनियम 2(2)

यथास्थिति, एनबीए या एसबीबी उप विनियम (1) के अधीन आवेदन से समाधान हो जाने पर, आवेदक के साथ फायदा बंटाने का करार करेगा जिसे जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिये या जैव सर्वेक्षण के लिये और उस उप–विनियम में निर्दिष्ट वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव उपयोग के लिये अनुमोदन समझा जाएगा।

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21 नवंबर 2014

विनियम 3

वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव सर्वेक्षण के लिए और वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव उपयोग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए फायदा बंटाने का ढंग

(1) जहां आवेदक/व्यापारी/विनिर्माता ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी)/ वनवासी/जनजाति कृषक/ग्राम सभा जैसे व्यक्तियों के साथ फायदा बंटाने के लिए पूर्व बातचीत नहीं की है और इन व्यक्तियों से सीधे जैविक संसाधन का क्रय करता है तो व्यापारी पर फायदा बंटाने की बाध्यता जैविक संसाधनों के क्रय मूल्य के 1.0 प्रतिशत से 3.00 प्रतिशत की रेंज में होगी और विनिर्माता पर फायदा बंटाने की बाध्यता जैविक संसाधनों के क्रय मूल्य के 3.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत की रेंज में होगी।

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21 नवंबर 2014

विनियम 3

1. निरंतर.....

परंतु व्यापारी द्वारा उसके द्वारा क्रय किए गए जैविक संसाधनों को किसी अन्य व्यापारी या विनिर्माता को विक्रय करने की दशा में, क्रेता पर फायदा बंटाने की बाध्यता यदि वह व्यापारी है तो क्रय मूल्य के 1.0 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत की रेंज में और यदि वह विनिर्माता है तो 3.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत की रेंज में होगी।

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21 नवंबर 2014

विनियम 3

1. निरंतर.....

परन्तु यह और कि यदि क्रेता तुरंत पश्चात्वर्ती विक्रेता के साथ आपूर्ति श्रृंखला में फायदा बंटाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो क्रेता पर फायदा बंटाने की बाध्यता केवल उस क्रय मूल्य के भाग तक लागू होगी, जिसके लिए फायदे को आपूर्ति श्रृंखला में बांटा नहीं गया है।

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21 नवंबर 2014

विनियम 3

(2) जहां आवेदक/व्यापारी/विनिर्माता ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी)/वनवासी/जनजाति कृषक/ग्राम सभा जैसे व्यक्तियों के साथ पूर्व फायदा बंटाने के लिए बातचीत की है और इन व्यक्तियों से सीधे जैविक संसाधन का क्रय करता है तो आवेदक पर फायदा बंटाने की बाध्यता उस दशा में जब क्रेता कोई व्यापारी है, जैविक संसाधनों के क्रय मूल्य के 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी और क्रेता के विनिर्माता होने की दशा में ये 5.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21 नवंबर 2014

विनियम 3

(3) ऐसे जैविक संसाधनों की दशा में जिनका उच्च आर्थिक मूल्य है जैसे चंदन, लाल सैंडर्स आदि या उनके व्युत्पन्नों की दशा में, फायदा बंटाने में नीलामी या विक्रय की रकम से आगतों के 5 प्रतिशत से अन्यून का संदाय जैसा कि, यथास्थिति, एनबीए या एसबीबी द्वारा विनिश्चत किया जाए और सफल बोली दाता या क्रय कर्ता अभिहित निधि में जैविक संसाधनों तक पहुंच से पूर्व रकम का संदाय करेगा।

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21st Nov 2014

विनियम 5

अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन किसी जैविक संसाधन तक वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पहुंच या संग्रहण के लिए उन क्षेत्रों से जो जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में आते है, फीस का संग्रहण इन विनियमों के अधीन एनबीए/एसबीबी को फायदा बंटाने के अतिरिक्त होगा।

जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014

21st Nov 2014

विनियम 15

(1) जहां एनबीए द्वारा अनुमोदन अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या अनुसंधान के परिणाम के अंतरण के लिए या बौद्धिक संपदा अधिकारों या तृतीय पक्षकार अंतरण के लिए प्रदान किया जाता है, हिस्सा बंटाने का ढंग नीचे दिए अनुसार होगा –

(क) उद्भूत फायदों 5.0 प्रतिशत एनबीए को मिलेगा जिसमें से आधी रकम को एनबीए द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा तथा शेष आधी रकम को प्रशासनिक प्रभारों के लिए संबंधित एसबीबी को दिया जा सकेगा।

(ख) उद्भूत फायदों का 95 प्रतिशत संबंधित बीएमसी को और/या फायदे का दावा करने वाले को मिलेगा।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 40

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध किन्हीं मदों को लागू नहीं होंगे जिसके अंतर्गत वाणिज्य के रूप में साधारणतया व्यापार के जैव संसाधन सम्मिलित हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 40 अधिसूचनायें

टिप्पणी:

1. यह अधिसूचना ऐसी मदों जिनके अंतर्गत जैविक संसाधन भी हैं के व्यापार को सुकर बनाने के लिए है जिसका सामान्यतः वस्तुओं के क्रय में व्यापार किया जाता है और यदि इन मदों में से कोई मद किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित है तो पूर्वोक्त अधिनियम के सुसंगत उपबंध लागू होंगे।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 40 अधिसूचनायें

टिप्पणी:

2. ऐसे उत्पाद जो उपरोक्त सारणी में सूचीबद्ध मदों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, सामान्य प्रचलन के पदार्थ के रूप में व्यापार किए जाते हैं, सामन्य वस्तुओं के रूप में सामान्य रूप से व्यापार किए गए रूप में भी माना जाएगा और ऐसे मामलों में सिद्ध करने का भार कि उक्त उत्पाद सामान्य प्रचलन के अंतर्गत आते हैं, दावेदार पर होगा।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियामक प्रावधान

धारा 40 अधिसूचनायें

टिप्पणी:

3. अधिसूचना कृषित प्रजातियों (जैविक संसाधनों) वन्य सापेक्षों को लागू नहीं होंगे।

भारतीय दण्ड संहिता, 1973

भारतीय दण्ड संहिता 1973

धारा 4. भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण

(1)

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2)

किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार किन्तु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुये की जायेगी।

भारतीय दण्ड संहिता 1973

धारा 5. व्यावृत्ति

इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी।

मध्यप्रदेश वन उपज
(जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई)
नियम, 2005

मध्यप्रदेश वन उपज
(जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005

नियम 2

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है इन नियमों में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिये इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो;

(ग) "निषिद्ध क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो, जिसमें इन नियमों के नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये किसी विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है;

मध्यप्रदेश वन उपज
(जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005

नियम 2

(घ) ''निषिद्ध मौसम'' से अभिप्रेत है एक वर्ष में की कतिपय कालावधि या कालावधियॉ, जिसमें/जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 4 के अधीन राज्य के वनों से विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण की प्रतिषिद्ध किया गया है;

(ज) ''पोषणीय कटाई सीमा'' से अभिप्रेत है वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जनन के उद्‌गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वार्षिक या कालिक रूप से विनिर्दिष्ट वन से संग्रहीत या निष्कर्षित की जाने वाली उक्त उपज की उच्चतम सीमा;

(झ) ''पोषणीय कटाई की पद्धति'' से अभिप्रेत है ऐसी गैर विनाशक तकनीक तथा प्रौद्योगिकी जो किसी वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जनन के उद्‌गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वन से उक्त उपज को संग्रहीत या निष्कर्षित करने के लिये उपयोग में लाई जा सके;

मध्यप्रदेश वन उपज
(जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005

नियम 3. सरकारी वनों से वन उपज के पोषणीय संग्रहण या निष्कर्षण को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने की शक्ति.—राज्य सरकार सरकारी वनों से वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के संबंध में ऐसे कदम उठा सकेगी जो वह जैव विविधता के संरक्षण और वन उपज की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे.

नियम 4. "निषिद्ध मौसम" घोषित करने की शक्ति.— राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी सरकारी वन से वनस्पति तथा जीव—जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के जीवनचक्र (लाइफसाइकिल) के आधार पर वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिये एक वर्ष की कतिपय कालावधि या कालावधियों को निषिद्ध मौसम घोषित कर सकेगी/सकेगा.

नियम 5. निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति.—राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी वन उपज की भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिये एक वर्ष की कतिपय वन क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि हेतु वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के लिये निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकेगी/सकेगा.

मध्यप्रदेश वन उपज
(जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005

नियम 6. पोषणीय कटाई सीमा विहित करने की शक्ति.—राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में किसी विशिष्ट वर्ष में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिये किसी वन उपज की, जो विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र से संग्रहित या निष्कर्षित की जा सकती है, मात्रा की सीमाएं विहित कर सकेगी/सकेगा.

नियम 7. पोषणीय कटाई पद्धति विहित करने की शक्ति.—राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में पोषणी कटाई को सुनिश्चित करने हेतु किसी वन उपज के लिये पोषणीय कटाई पद्धति विहित कर सकेगी/सकेगा.

मध्यप्रदेश वन उपज
(जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005

नियम 10. नियम भंग करने के लिये शास्ति.—जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह अधिनियम की धारा 77 के अधीन दण्डनीय होगा.

भारतीय वन अधिनियम, 1927

भारतीय वन अधिनियम, 1927

धारा 52

मध्यप्रदेश संशोधनों का विवरण आवश्यक नहीं.....वन विभाग परिचित है।

Access Benefit Sharing-MP Model

Meeting with Traders

Access Benefit Sharing-MP Model

1. POR No 4948/13 dt 9.5.2017
2. ABS Camp at Sheopurkalan for Shepur and Shivpuri Traders
3. SOP of ABS process Access Benefit Sharing

Access Benefit Sharing –MP Model

ABS Realization-MPSBB

Financial Year	ABS Amount (in Lakhs)	Number of ABS Agreements
2013-14	0.22	1
2014-15	0.14	1
2015-16	3.42	1
2016-17	41.86	1
2017-18	18.06	62
2018-19	10.94	66

Field Officers notified as Ex-officio MS and ABS Power Delegated

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

क्रमांक-आर-1868-957-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 17 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए लाभ प्रभाजन (अनुमोदन प्रदान करने) हेतु व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

अ. व्यापारियों तथा विनिर्माताओं से अनुबंध—

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल या सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पूर्ण मध्यप्रदेश).

ब. व्यापारियों से अनुबंध—

1. समस्त क्षेत्रीय संभागीय वनमण्डलाधिकारी या पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल (अपनी अधिकारिता के भीतर).

No. R-1868-957-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 17 of the Madhya Pradesh State Biodiversity Rules, 2004, the State Government, hereby, authorizes the following Officers to sign Benefit Sharing Agreement for Access to Biological Resources (Grant of Approval) with Traders and Manufacturers, as under :—

A. Agreement with Traders and Manufacturers—

1. Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board, or Officer authorized by Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board (Whole Madhya Pradesh).

B. Agreement with Traders—

1. All Territorial Divisional Forest Officer or Ex-Officio Assistant Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board (Within Jurisdiction).

क्रमांक आर-1868-957-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 17 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/संभागीय वन मंडलाधिकारी को निम्नानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल के पदेन अधिकारियों के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :—

1.	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्राधिकारिता)	पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मण्डल
2.	वन संरक्षक/संभागीय वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्राधिकारिता)	पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मण्डल

Field Officers notified as Ex-officio MS and ABS Power Delegated

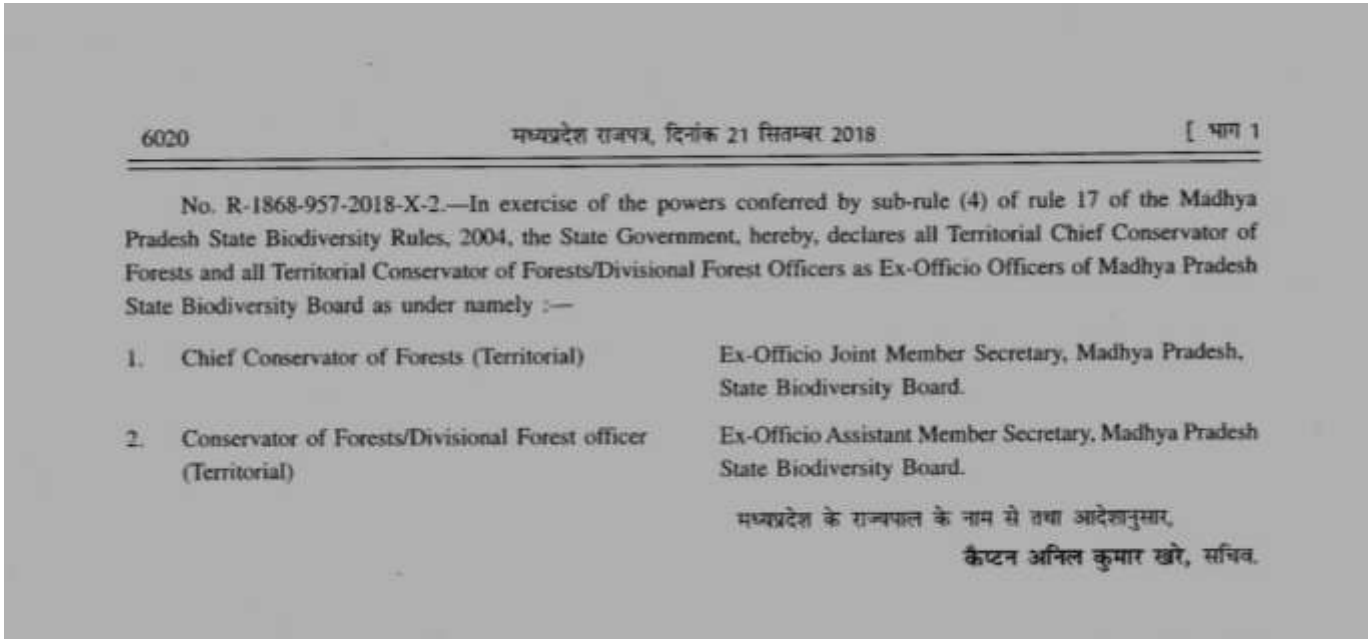

6020 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2018 [भाग 1

No. R-1868-957-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 17 of the Madhya Pradesh State Biodiversity Rules, 2004, the State Government, hereby, declares all Territorial Chief Conservator of Forests and all Territorial Conservator of Forests/Divisional Forest Officers as Ex-Officio Officers of Madhya Pradesh State Biodiversity Board as under namely :—

1.	Chief Conservator of Forests (Territorial)	Ex-Officio Joint Member Secretary, Madhya Pradesh, State Biodiversity Board.
2.	Conservator of Forests/Divisional Forest officer (Territorial)	Ex-Officio Assistant Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

ABS Potential?

Enormous

Are we ready to realize it?

Let Wisdom Prevail

धन्यवाद